| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| Board of Revenue For Rajasthan Ajmer सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official | **नजरसानी/डिक्री टीए/4388/2002/झालावाड**<br>**कालू व अन्य बनाम ललिता व अन्य** | |

**खण्ड–पीठ**
**श्री शंकर लाल शर्मा सदस्य**
**श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य**

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रार्थी
श्री यज्ञ दत शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

**निर्णय**

यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल की खण्ड पीठ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

नजरसानी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय अपील में वर्णित किये गये तथ्यों एवं वास्तविक कानूनी तर्को पर विचार किये बिना ही पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से एरर अपेरेन्ट आन दी फेस आफ दी रेकार्ड है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किये गये थे उनसे यह पूर्णतया सिद्ध था कि नये खसरा नम्बर 47 और 53 पुराने खसरा नम्बर 17 मिन से बने हैं। यदि इस बाबत खण्ड पीठ को कोई आशंका थी तो प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिये था। लेकि उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त मण्डल की खण्ड पीठ ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को राजीनामा दिनांक 26–7–93 एवं 28–7–93 के आधार पर निरस्त किया है जबकि उक्त राजीनामा तस्दीक नहीं किये गये थे और विचारण न्यायालय`न राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है। अप्रार्थी की यह स्वीकारोक्ति है कि वह वादग्रस्त आराजी पर कभी काबिज नहीं रहा और प्रार्थी ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज है।जब इस तथ्य को

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**नजरसानी/डिक्री टीए/4388/2002/झालावाड**<br>**कालू व अन्य बनाम ललिता व अन्य** | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|

अप्रार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्ण्य को निरस्त करने का कोई आधार नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षे नहीं किया जाना चाहिये था। इसलिये नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निर्णय दिनांक 12-7-02 को विधिसम्मत बताते हुये नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि नजरसानी का दायरा सीमित होता है। नजरसानी के माध्यम से प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 2005(12)पेज 290 की नजीर पेश की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying cxercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 C.P.C., it is note permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**नजरसानी/डिक्री टीए/4388/2002/झालावाड**<br>**कालू व अन्य बनाम ललिता व अन्य** | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|

has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be appeal in disguise."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय (erroneous decision) एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि ( error apparent from the Face of the Record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता।

मंडल की पूर्व खण्ड पीठ ने अपने निर्णय में प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसलिये नजरसानी के माध्यम से मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(शंकर लाल शर्मा)
सदस्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**नजरसानी/डिक्री टीए/4388/2002/झालावाड**<br>**कालू व अन्य बनाम ललिता व अन्य** | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| | | |